पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–05/14 191

**झारखण्ड सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

**सुखदेव सिंह,**
प्रधान सचिव

सेवा में,

**मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ प्रबंध निदेशक,**
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्‌वह सिंचाई निगम (लि॰),
(झालको), संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

**राँची, दिनांक :** 12-2-15

विषय :– माँग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200101190545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

| क्र॰ | माँग संख्या/मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रू॰ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 50–लघु सिंचाई विभाग/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 101–सतही जल/ 19–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 05–निर्माण, 45–मुख्य निर्माण कार्य 50P470200101190545 | **538.452** |
| **आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ अड़तीस लाख पैतालीस हजार दो सौ मात्र।** | | | | |

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–2015 के **उपबंध रू॰ 1300.00 लाख (तेरह करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जाएगा।
5. प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
7. अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल–3 एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक–संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰ एल॰ खाता में जमा करेंगे।
15. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाऐगा।
16. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
17. कंडिका 14 से 16 तक के प्रावधान केवल झालको के आवंटन में लागू रहेंगे।
18. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**
**अनु॰ :– यथोक्त**

Sukhdev (हस्ताक्षर)
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 191 रॉंची, दिनांक :– 12-2-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/कोडरमा/मेदिनीनगर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक–यथोक्त्।**

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 191 रॉंची, दिनांक :– 12-2-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक–यथोक्त्।**

| | | |
|---|---|---|
| (ओंकार नाथ) | (मुक्ति साधन चौरसिया) | **(सुखदेव सिंह)** |
| सहायक अभियंता | उप सचिव (अभि॰) | **प्रधान सचिव** |

पत्रांकः –......191....... /राँची, दिनांक– ....12-2-15.......

परिशिष्ट–1

माँग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल,
उपशीर्ष – 19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य
विपत्र कोड–50P470200101190545
उपबंध (वर्ष 2014–15) रू॰ 1300.00 लाख (तेरह करोड़) मात्र।

(राशि – लाख ₹ में)

| क्र॰ | कार्यालय का नाम | जिला | प्रखण्ड | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | प्रशासनिक स्वीकृति का राशि | मार्च 2014 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2014–15 में निर्गत आवंटन पूर्व का आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | कुल आवंटित राशि | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा (KDMMIRA01) | कोडरमा | कोडरमा | खरकोटा उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | 44 / 13–14 दि0–22.10.13 | 41.173 | 0.00 | 28.450 | 134.030 | 162.480 | **94651** | |
| 2 | | | कोडरमा | खरखरो उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | | 40.009 | 0.00 | | | | | |
| 3 | | | मरकच्चो | बेलाडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | | 40.858 | 0.00 | | | | | |
| 4 | | | मरकच्चो | बहादुरपुर उदवह सिंचाई योजना का निर्माण | | 40.440 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | योग | **28.450** | **134.030** | **162.480** | | |
| 1 | लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद (PLMMIR044) | पलामू | हैदरनगर | मंगरधारा मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण | 11/ 16.06.14 | 460.677 | 0.00 | 50.000 | 200.000 | 250.000 | **94662** | |
| | | | | | | | योग | **50.000** | **200.000** | **250.000** | | |
| 1 | प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची (RNCIRR035) | पलामू | पांकी | द्वारिका ग्राम में तालाब का निर्माण | 45/20.10.2014 | 19.040 | 0.00 | 0.000 | 204.422 | 204.422 | **94673** | |
| 2 | | बोकारो | चन्द्रपुरा | पिपराडीह ग्राम में तालाब का निर्माण | | 36.864 | 0.00 | | | | | |
| 3 | | देवघर | सोनारायठारी | तिनघारा ग्राम में तालाब का निर्माण | | 19.321 | 0.00 | | | | | |
| 4 | | देवघर | देवीपुर | नारासिमर ग्राम में तालाब का निर्माण | | 15.000 | 0.00 | | | | | |
| 5 | | बोकारो | गोमिया | महुआटॉड ग्राम में तालाब का निर्माण | | 25.454 | 0.00 | | | | | |
| 6 | | हजारीबाग | बरकट्ठा | चट्करी में तालाब निर्माण | | 20.257 | 0.00 | | | | | |
| 7 | | देवघर | मधुपुर | दुबियातारी ग्राम में तलाब का निर्माण | | 25.000 | 0.00 | | | | | |
| 8 | | हजारीबाग | बिष्णुगढ़ | राघोटांड़ में तालाब का निर्माण | | 19.146 | 0.00 | | | | | |
| 9 | | हजारीबाग | बिष्णुगढ़ | कमरागढ़ा में तालाब का निर्माण | | 24.340 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | योग | **0.000** | **204.422** | **204.422** | | |
| | | | | | | | कुल योग | **78.450** | **538.452** | **616.902** | | |

आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ अड़तीस लाख पैतालीस हजार दो सौ मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव